

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941 No. 162] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2019

सं.भा.आ.प.-34(41)/2019-मेड./112862.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुन: संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:—

- 1. (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" के परिशिष्ट "ज" में एमबीबीएस में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत् "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश को परिशिष्ट "ज-1" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव [विज्ञापन-III/4/असा./45/19]

#### पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामत: "स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली 1997" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसुचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-॥। खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयर्विज्ञान परिषद की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 01.03.2004. 30.09.2003. 16.10.2003. 20.10.2008. 15.12.2008, 22.12.2008. 25.03.2009. 19.04.2010 07.10.2010. 21.12.2010. 15.02.2012. 29.12.2015. 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017. 04.07.2017. 23.01.2018, 06.02.2018, 21.05.2018 और 05.02.2019 की अधिसूचनाओँ के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

2444 GI/2019 (1)

### परिशिष्ट-ज-1

# आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के संबंध में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

### टिप्पणी:

- 1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
- 2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, 4 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।
- विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बैंचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
- 4. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' **(**वि.व्य.) शब्द का इस्तेमाल किए जाएगा।

क्र.सं.	विकलांगता	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट	विकलांगता की रेंज			
	प्रकार		विकलांगता	मेडिक	न	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए	मेडिकल
				पाठ्यक्र	त्म के लिए	पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा	पाठ्यक्रम
				पात्र, '	विकलांग	के लिए पात्र	के लिए
					कोटा के		पात्र नहीं
		0.000			ात्र नहीं		
1.	शारीरिक	क. विनिर्दिष्ट विकलांगताओं	क. कुष्ठ रोग से मुक्त	40% <del>र</del>		40-80%विकलांगता:	80% से
	विकलांगता	सहित गतिक विकलांगता	व्यक्ति*	विकलां	गिता	80% से अधिक विकलांगता	अधिक
		(कसेच)	ख प्रमस्तिष्कीय			वाले व्यक्तियों को भी	विकलांगता
			पक्षाघात**			मामला दर मामला आधार	
			ग बौनापन			पर अनुमति दी जा सकती	
			घ. मांसपेशीय			है और उनकी कार्यात्मक	
			डिस्ट्राफी ङ. तेजाब के प्रहार से			सक्षमता, सहायक उपकरणों,	
			। ज्ञाब के प्रहार स । पीडित			यदि इनका इस्तेमाल किया	
			च. अन्य***जैसे			जा रहा है, की सहायता से,	
						यह देखने के लिए, निर्धारित	
			अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस			की जाएगी कि क्या इसे	
			पालियाम्यलाइाटस   आदि			80% से नीचे लाया गया है	
			on re			और क्या उनके पास ऐसी	
						पर्याप्त चालक योग्यता है, जो	
						यह पाठयक्रम जारी रखने	
						और संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक है।	
						करन के लिए आवश्यक हा	
			* ऊंगलियों, हाथों में स	वेदन की	क्षति, अंगवि	च्छेद और आंखों की अंतर्ग्रस्तता	पर ध्यान
			दिया जाना चाहिए तथ	ा तदनुरू	षी अनुशंसाए	ुं देखी जानी चाहिए।	
			**दृष्टि, श्रवण की संज्ञा	नात्मकं व	कार्य की क्षति	पर ध्यान दिया जाना चाहिए इ	और तद्नुरूपी
			अनुशंसाएं देखी जानी	चाहिए।			
			***चिकित्सा पाठ्यक्रग	ा के लि	ए पात्र माने	। जाने के लिए दोनों हाथों	का, अक्षुण्ण
			संवेदनाओं, पर्याप्त शरि	के औरग	ति के रेंज के	साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।	Ĭ
		ख. दृष्टि क्षति	क. नेत्रहीनता		40% से कम	-	40% के
		(*)	ख. निम्न दृष्टि		विकलांगता		बराबर या

क्र.सं.	विकलांगता	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट	विकलांगता की रेंज			वेकलांगता की रेंज	
	प्रकार		विकलांगता	मेडिकल		मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए		मेडिकल
					क्रम के लिए	पाः	त्र, विकलांग व्यक्ति कोटा	पाठ्यक्रम
				पात्र,	विकलांग	के	लिए पात्र	के लिए
					कोटा के			पात्र नहीं
				लिए	पात्र नहीं			
								इससे अधिक
							-	जाधक विकलांगता
		ग. श्रवण क्षति@	क. बहरा		40% से क	म		40% के
			<del></del>		विकलांगत		<u>-</u>	बराबर या
			ख. कम सुनाई देना					इससे कम
								विकलांगता
			   (*)40% से अधिक व	ते दृष्टि	क्षति/दष्टि	विक	लांगता वाले व्यक्तियों के	ो एमबीबीएस
			T	-	-		जा सकता है और इस	
					-		को आधुनिक निम्न दृष्टिसह	
					=		ाता से 40% के बैंचमार्कः	~
				таляқ	२(जा।५ जम	71 G 1 6	तिता ता च्य⊅्य या अथनायाः	ा तस्य तर्रहार
			तक लाया जाए।					
			@ 40% से अधिक व	की श्रवण	ग विकलांगत	ा वार	त्रे व्यक्तियों को एमबीबीएर	प चिकित्सा
			शिक्षा में पढ़ने के लिए	पात्र बन	नाया जा सक	ता है	और इस शर्त के अधीन आ	रक्षण दिया जा
			सकता है कि श्रवण वि	कलांगत	ा को सहायव	<sub>ह</sub> उप	करणों की सहायता से 40	% के बैंचमार्क
			से कम के स्तर तक लाग	या जाए	l			
				-		क का	वाक् विवेक स्कोर होना च	गहिए। 
		घ.वाक् एवं भाषा	आर्गनिक/तंत्रीय कारण		40% से क		`	40% के
		विकलांगताएं\$			विकलांगत		<del>-</del>	बराबर या
					14 1/311/10	'		इससे कम
								विकलांगता
		   \$वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एस	गुआईए) बाले व्यक्ति एमर	बीबीएस	पाठ्यक्रममें	पहने	के लिए पात्र होंगे बशर्ते	वाक बद्धिमता
		प्रभावित (एसआईए) स्कोर 3						11 2 31-52 1111
		त्रमावित (एसआइए) स्कार उ	(तान) स आवक न हा, अ	1147 40	७७ या उसस	पम्म १	611	
		वाचाघात वाले व्यक्ति एमबीर्ब	ीएस पाठ्यक्रममें पढ़ने के	लिए प	ात्र होंगे, बश	र्ते वि	क वाचाघात लब्धि (एक्यू)	40%या उससे
		कम हो।						
2.	बौद्धिक		क. विशिष्टज्ञानार्जन	# 2	र्वणान में एक			के लिए कोर्ट
۷.	विकलांगता		विकलांगताएं		-	-		•
			(बोधात्मक				हीं  है,  इसलिए  40%  व लेए अधिक साक्ष्य की आव	
			विकलांगताएं,				<u> </u>	
			डिस्लेक्सिया,		से कम			30% से
			डिस्केलकुलिया,	। विकल	गंगता			प्रधिक या ांभीर स्वरूप
			डिस्स्प्राक्सिया और				7 — 6 — . —	ांभीर स्वरूप ग्रा पर्याप्त
			विकासात्मक					ता प्रयाण्या पंज्ञानात्मक/
			एफासिया)#				तु चयन, ।रमाडएशन	गौद्धिक -
							अथता प्राप्ता	वेकलांगता
							शेषज्ञ पैनल द्वारा किए	
						गए	ु अवसंरचनात्मक	
							रेवर्तनों की सहायता	
							मूल्यांकन की गई   नार्जन सक्षमता पर	
							नाजन सक्षमता पर   धारित होगा।	
							6	

क्र.सं.	विकलांगता	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट	विकलांगता की रेंज			
	प्रकार		विकलांगता	मेडिकल	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए	मेडिकल	
				पाठ्यक्रम के लिए	पात्र, विकलांग व्यक्ति कोट	प्राट्यक्रम	
				पात्र, विकलांग	के लिए पात्र	के लिए	
				व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं		पात्र नहीं	
			ख. आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए के अनुसार 40%- 60% तक की विकलांगता) जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% से अधिक विकलांगता या संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता और/ या यदि व्यक्ति, विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए अनुपयुक्त बताया गया है।	
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धित के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धितयां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। "मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस" की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाए जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।	
4.	आगेउल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुलऊतकदृढ़न ii. पार्किनसोनिज्म	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता	
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया	40% से कम	40%-80%	80%	
			ii. थैलिसीमिया	विकलांगता	विकलांगता	से अधिक	
			iii. सिक्कल सैल रोग			विकलांगता	
			<u> </u>				

क्र.सं.	विकलांगता	विकलांगताओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट	विकलांगता की रेंज		
	प्रकार		विकलांगता	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	की अनुशंसाओं में विकलांगता के एक विकलांगता, बौद्धि पर विचार किया अधिक असमर्थका विकलांगता की सजारी की गई संवे संयोजनकारी फार्मू (जहां क = विकलांगता के % के लिए परिकलित विकलांगताओं वाले मामले में मौजूद	की मौजूदगी के संबंध में अलग निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, व क विकलांगता और मानसिक रो जाना चाहिए जब किसी व्यि री स्थिति मौजूद है, उत्पन्न गणना करने के लिए, भारत हिंधत राजपत्र अधिसूचना द्वार ले की अनुशंसा की जाती है: क + (ख (90-क)) 90 लांगता के % का उच्च मूल्य का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न किया गया हो। इस फार्मूले का इ ने मामलों में किया जाए और व्य विशिष्ट विकलांगताओं के अन्	नामत: बहुल ाक् और भाषा ग विकलांगता क्ते में एक से होने वाली सरकार द्वारा ा अधिसूचित य और ख = विकलांगताओं स्तेमाल बहुल क्ति विशेष के

### **BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION**

### OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

### AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2019

**No.MCI-34(41)/2019-Med./112862.**— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Graduate Medical Education Regulation, 1997", namely:—

- $1. \ (i) \ These \ Regulations \ may \ be \ called \ the \ ``Graduate \ Medical \ Education \ Regulations, \ (Amendment), \ 2019".$ 
  - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", in Appendix "H" Guidelines regarding admission of students with "Specified Disabilities" under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS –shall be substituted with Appendix "H-1".

DR. R. K. VATS, Secy. General [Advt.-III/4/Exty./45/19]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Graduate Medical Education Regulations, 1997" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018, 06/02/2018, 21/05/2018 & 05/02/2019.

### Appendix "H - 1"

Guidelines regarding admission of students with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS Course.

- Note: 1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 15th June 2017.
  - 2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)" notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4th January 2018.
  - 3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
  - 4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH).

				Disability Range				
S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course		
1.		Locomotor	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability Persons with more than 80%	More than 80%		
		including	b. Cerebral Palsy**		disability may also be allowed on case to case basis and their functional competency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as required to pursue			
		Specified Disabilities	c. Dwarfism					
			d. Muscular Dystrophy					
			e. Acid attack victims					
			f. Others*** such as					
			Amputation, Poliomyelitis, etc.		and complete the course satisfactorily.			
	Physical Disability		** Attention should be pa corresponding recommendati	responding recommended to impairment ons be looked at.	ations in fingers and hands, and mendations be looked at.  Int of vision, hearing, cognitive sufficient strength and range of results.	ve function etc. and		
		B. Visual	a. Blindness	Less than	<u> </u>	Equal to or More		
		Impairment		40% disability		than 40% Disability		
		(*) C. Hearing	b. Low vision a. Deaf	Less than	-	Equal to or more		
		impairment@		40% Disability	-	than 40% Disability		
			b. Hard of hearing					
			pursue MBBS Course and	may be given r	disability of more than 40% ma reservation, subject to the conce he benchmark of 40% with advantage.	lition that the visual		

				Disability Range				
S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability es	Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course		
			such as telescopes / magnifie	r etc.				
			Courseand may be given resea level of less than the bench	ervation, subject to mark of 40% with	than 40% may be made eligible to the condition that the hearing do the aid of assistive devices. It speech discrimination score of the speech discrimination	isability is brought to		
		D. Speech & language disability\$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability		
		Intelligibility	Affected (SIA) score shall not	exceed 3 (three),				
		Persons with			ses, provided Aphasia Quotient (A	-		
2.	sability		a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia,	severity of SpL evidence is nee		s arbitrary and more		
	Intellectual disability		Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability and equal to or less than 80%.  But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/infrastructural changes by the Expert Panel.	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability.		
			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of upto 60% as per ISAA) where the individual is fit for MBBS course by an expert panel.	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	More than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is unfit for pursuing MBBS course by an expert panel.		
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.		

				Disability Range				
S. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course		
4.	ed due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%		
	Disability caused due to	b. Blood Disorders	i. Haemophilia ii. Thalassemia iii. Sickle cell disease	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%		
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	recommendation Visual, Hearin Disability, and I Combining For issued by the Go  a  (where a= hig disability % as of is recommended one disabling co may be used in regarding admi	all above while deciding in swith respect to presence any ing. Speech & Language display the related ovt. of India $ + \frac{b(90-a)}{90} $ there value of disability % an incalculated for different disabilities and for computing the disabilities are ondition is present in a given incases with multiple disabilities, ission and/or reservation made ent in a given individual.	of the above, namely, isability. Intellectual Multiple Disability.  Gazette Notification  d b=lower value of es)  ising when more than lividual. This formula and recommendations		